Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Arms Appeal No.- 07 /2026

Md. Sanwar Khan ....Appellant

Versus

The State of Bihar ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.8.26	**आदेश** प्रस्तुत अपील वाद जिला दंडाधिकारी, कटिहार के ज्ञापांक–1051, दिनांक–11.10.2025 द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। **मामले का सारांश यह है कि :–** • आवेदक .12 BORE DBBL NO. 53616-12 नामक शस्त्र धारित करते थे, जिसका UIN- 051680020980452015 तथा अनुज्ञप्ति सं0–K/1611/ ARMS/DM/KUL/14-15 है। जिला दंडाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक–1051, दिनांक–11.10.2025 के द्वारा आवेदक व अन्य 51 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को रद्द (Cancel) किया गया। • जिला दंडाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक–1051, दिनांक–11.10.2025 के अनुसार बिहार विधानसभा निर्वाचन, 2025 के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने के निमित्त उनके कार्यालय के पत्रांक–88, दिनांक–09.04.2025 एवं पत्रांक–109, दिनांक–12.06.2025 द्वारा दिनांक–05.05.2025 से 21.05.2025 एवं दिनांक–16.06.2025 से 28.06.2025 तक तिथि निर्धारित कर जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र/कारतूस का सत्यापन कराने संबंधी सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में किया गया। निर्धारित तिथियों में अपने शस्त्र/कारतूस का सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को नोटिस निर्गत कर दिनांक–10.09.2025 तक अपने शस्त्रों का सत्यापन कराने अन्यथा उनके शस्त्र को निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई किये जाने की सूचना निर्गत की गई। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के कुल 59 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्रों का सत्यापन हेतु 03 बार अवसर प्रदान करने के बाद भी अपने शस्त्र/कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराने तथा शस्त्र अनुज्ञप्ति के शर्तों का उल्लंघन करने के निमित्त आयुध अधिनियम	

1959 में प्रावधानित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके कार्यालय आदेश ज्ञापांक–435, दिनांक–13.09.2025 द्वारा सभी संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को पत्र/सूचना प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर निकटतम पुलिस थाना में जमा कराने एवं 15 दिनों के अन्दर कारण–पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया। 59 में से 52 निलंबित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा न ही स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और न ही सत्यापन संबंधी कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराया गया।

- जिला दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू रहने, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराये जाने तथा बार–बार सूचना/स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने के बावजूद भी उत्तर नहीं दिये जाने आदि के आलोक में आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 में निहित प्रावधानों एवं अनुज्ञप्ति के शर्त्तों का उल्लंघन मानते हुए आवेदक के उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द करने का निर्णय लिया गया।

आवेदक का कथन है कि :–

- बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2025 को दृष्टिगत रखते हुए जिला दण्डाधिकारी, कटिहार द्वारा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उनको शस्त्र के सत्यापन हेतु सूचना निर्गत किया गया, परन्तु उक्त समय वे भारतीय सेना में लद्दाख में कार्यरत थे।
- उनके द्वारा उनके शस्त्र का नवीनीकरण दिनांक–21.10.2025 को करा लिया गया।
- जिला दण्डाधिकारी, कटिहार के स्तर से उनके शस्त्र के अनुज्ञप्ति को रद्द करने का आदेश पारित किया गया, जो विधिसम्मत नहीं है।

संलग्न दस्तावजों की सूची :–

1. समाहरणालय, कटिहार के आदेश ज्ञापांक–1051 दिनांक–11.10.2025 की छायाप्रति।
2. शस्त्र अनुज्ञप्ति की छायाप्रति।
3. Lt. Col द्वारा जिला दण्डाधिकारी, कटिहार को प्रेषित पत्र की छायाप्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिला दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 को दृष्टिगत रखते हुए उनके कार्यालय के पत्रांक–88, दिनांक–09.04.2025 एवं पत्रांक–109, दिनांक–12.06.25 द्वारा दिनांक–05.05.2025 से 21.05.2025 एवं दिनांक–16.06.2025 से 28.06.2025 तक तिथि निर्धारित कर जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र/कारतूस का

सत्यापन कराने संबंधी सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में किया गया। निर्धारित तिथियों में अपने शस्त्र/कारतूस का सत्यापन नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को नोटिस निर्गत कर दिनांक–10.09.2025 तक अपने शस्त्रों का सत्यापन कराने अन्यथा उनके शस्त्र को निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई किये जाने की सूचना निर्गत की गई।

59 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को तीन बार अवसर प्रदान करने के बावजूद भी अपने शस्त्र/कारतूस का भौतिक सत्यापन नहीं कराने पर आयुध अधिनियम, 1959 में प्रावधानित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी, कटिहार ने ज्ञापांक–435, दिनांक–13.09.2025 द्वारा सभी संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र को पत्र/सूचना प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर निकटतम पुलिस थाना में जमा कराने एवं 15 दिनों के अन्दर कारण–पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया। 59 में से 52 निलंबित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा न ही स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और न ही सत्यापन संबंधी कोई सूचना कार्यालय में उपलब्ध कराया गया, जिसके उपरांत आयुध अधिनियम 1959 एवं आयुध नियम 2016 में निहित प्रावधानों एवं अनुज्ञप्ति के शर्तों का उल्लंघन मानते हुए आवेदक सहित कुल 52 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति को जिला दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक–11.10.2025 को रद्द किया गया।

आवेदक द्वारा समर्पित Lt. Col के जिला दंडाधिकारी, कटिहार को समर्पित पत्र के अनुसार आवेदक को दिनांक–10.09.2025 तक अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया, जबकि आवेदक का अनुज्ञप्ति दिनांक–11.10.25 को रद्द किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदक के पास अनुज्ञप्ति को रद्द होने से बचाने हेतु पर्याप्त समय था। आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द होने के 10 दिन बाद ही दिनांक–21.10.2025 को अपने शस्त्र एवं कारतूस को संबंधित थाना में जमा किया गया। आवेदक द्वारा समर्पित अनुज्ञप्ति की छायाप्रति के अनुसार अनुज्ञप्ति की वैधता 2021 से 2025 तक है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद जिला दंडाधिकारी, कटिहार को विधिवत सुनवाई करते हुए मुखर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया